तत्काल अनुपालना सुनिश्चित करें

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-निरी/170/35-38/परिपत्र/2015/ 50254-370 दिनांकः- 31/12/2015

-:परिपत्रः-

विषयः- कारागार में मोबाईल उपकरणों/निषिद्व वस्तुओं के प्रवेश एवं उपयोग की रोकथाम हेतु निर्देश ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा कारागार में मोबाईल उपकरणों/निषिद्व वस्तुओं के प्रवेश एवं उपयोग की रोकथाम हेतु निम्न परिपत्र/दिशा निर्देश जारी किये गये थें ।

क्र. सं.	परिपत्र क्रमांक दिनांक	विषय
01	निरी./फरारी/परिपत्र/170/35207-306 दिनांक 19.11.2003	जेलो में तलाशी के दौरान मिली आपतिजनक सामग्री की रोकथाम के क्रम में ।
02	निरी./170/85-86/पार्ट-5/39184-283 दिनांक 21.12.2005	जेलो में तलाशी के दौरान मिली आपतिजनक सामग्री की रोकथाम के क्रम में ।
03	निरी./परिपत्र/170/85-86/पार्ट-04/43228-330 दिनांक 0602.2006	उप कारागृहों की प्रशासनिक एवयं सुरक्षा व्यवस्था बाबत निर्देश ।
04	निरी./परिपत्र/170/77-78/38907-3907 दिनांक 23.02.2007	कारागृहो में निषिद्व वस्तुओं की रोकथाम के सन्दर्भ में ।
05	सामान्य /08/2000/56115-220 दिनांक 02.08.2007	जेलों में बंदियान की व्यवस्थाओं के सम्बध में ।
06	निरी./फरारी/170/पार्ट-05/60186-286 दिनांक 10.08.2007	बंदियान फरारी घटनाओं की रोकथाम के संम्बध में ।
07	निरी./17027-127 दिनांक 13.05.2008	कारागृहों में निषिद्व सामग्री की रोकथाम के सम्बध में ।
08	निरी./16226-17026 दिनांक 13.05.2008	कारागृहो की आकस्मिक तलासी के क्रम में
09	निरी./170/85-86/पार्ट-6/2008/927-1026 दिनांक 13.01.2009	कारागृहो की तलाशी के सम्बध में ।
10	निरी./निषिद्व सामग्री/2010/63567-662 दिनांक 31.03.2010	तलाशी के दौरान निषिद्व वस्तुओं की रोकथाम के सम्बध में ।

P.T.O.

11	निरी./निषिद्व वस्तुऐं/अजमेर/10/1613-712 दिनांक 15.04.2010	निषिद्व वस्तुओं की रोकथाम के निर्देश ।
12	निरी/170/35-86/पार्ट-6/08/26828-927 दिनांक 19.10.2010	कारागृहों में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश एवं उपयोग की रोकथाम हेतु निर्देश ।

1. समय समय पर प्रसारित निर्देशों के बावजूद विभिन्न कारागृहों पर मोबाइल उपकरण, मादक पदार्थ एवं अन्य निषिद्व वस्तुएं बंदियों के पास पाई जा रही है। बंदी येन केन प्रकारेण निषिद्ध वस्तुऐं जेल के अन्दर प्राप्त करने में सफल रहे है। समय समय पर निषिद्ध सामग्री का बरामद(Detection) होना स्टाफ की सक्रियता दर्शाता है परन्तु हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि बन्दी इन वस्तुओं को प्राप्त करने में सफल कैसे हो जाते है।

2. जेल गेट, मुलाकात, जेल के बाहरी तरफ तथा बंदियों को सांयकाल व सुबह बंद करते समय तलाशी को ओर प्रभावी करने की आवश्यकता है तथा बैरिक/वार्ड पर जेल कर्मियों द्वारा निगरानी तथा सी0ओ0/सी0एन0डब्लू द्वारा कर्तव्य निर्वहन अधिक सर्तकता के साथ किया जाना चाहिए। निषिद्व सामग्री समय समय पर काफी संख्या में बरामद होने पर यह भी संभव है कि इस प्रकार की निषिद्व वस्तुएं कारागृहों में प्रवेश करवाने में लिप्त कर्मियों/बाहरी अपराधियों का सही चिन्हीकरण नहीं हुआ है।

3. प्रभावी तलाशी/बाहरी सुरक्षा ही कारागारों में निषिद्व वस्तुओं के प्रवेश को रोकने का मुख्य एवं कारगर तरीका है। इसको प्रभावी बनाने के लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कार्य के लिए तैनात कर्मियों को अपना उत्तरदायित्व समझकर मुस्तैदी से अपना कर्तव्य पालन करना होगा।

4. निषिद्व वस्तुओं के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए यह जरूरी है कि आप स्वंय अपने सूचना तंत्र को विकसित कर इस अनैतिक कार्य में लिप्त /सहायक, जेल कर्मियों को चिन्हित करें तथा उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करावें।

5. इसी प्रकार सी0ओ0/सी0एन0डब्लू का भी निषिद्व वस्तुए मिलने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा उनके विरूद्व जेल नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

6. कारागृहो में बाहरी तरफ से फैके जाने वाली निषिद्व वस्तुओं की रोक थाम के लिए आर0ए0सी0 एवं जेल सुरक्षा कर्मियों को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाये वहाॅ अनैतिक गतिविधियो पर प्रभावी रोकथाम हो सकें ।

7. प्रतिबंधित वस्तु जेल के अन्दर रखने या उपयोग करने पर समुचित दण्ड का प्रावधान प्रिजन्स एक्ट 1894 की धारा 42,46 एवं 47 में है। बंदियों को बाहरी व्यक्तियों या जेल कर्मिकों द्वारा निषिद्ध वस्तु उपलब्ध कराये जाने पर केस दर्ज

P.T.O.

करवाये जाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक सामान्य/17/2015/41704-804 दिनांक 17.11.2015 के द्वारा कारागार(राजस्थान संशोधन)अधिनियम,2015 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।प्रति संलग्न है ।

अतः आपको पुनः उक्त परिपत्रों की प्रतियॉ प्रेषित कर लेख है कि सभी परिपत्रों का अध्ययन कर,इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावें ।परिपत्र की प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रेषित करावें।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार,रेज,जयपुर/जोधपुर/उदयपुर ।
2. समस्तअधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी/केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह,राजस्थान।
3. निजी सचिव, अति0महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार,जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक महानिरीक्षक कारागार, जयपुर ।
5. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय, कारागार,जयपुर ।
6. कम्पुयुटर सेल वास्ते वेब साईड पर डालने हेतु ।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर।

प्रपत्र

कारागृह का नाम..............................दिनांक.........................को बरामद निषिद्व वस्तु/मोबाईल की सूचना ।

क्र सं.	बरामद निषिद्व वस्तु/मोबाईल का नाम व मात्रा	बरामदगी का स्थान(जेल के गेट,वार्ड,जेल के बाहरी तरफ व स्थान का नाम	किसके द्वारा किस प्रकार से बरामद किया गया का नाम व विवरण	फर्द जब्ती पूर्ण विवरण मय जिनके सामने की गई और जिससे बरामद हुआ है उसके बयान(प्रति संलग्न करें)	इसके संबंध में आप द्वारा की गई प्राथमिक जॉच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कार्मिक/बंदी व अन्य का नाम)यदि वार्ड के अन्दर बरामद हुआ है तो सायकाल व प्रातःकाल जेल बंद करवाने व खुलवाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों मय डयूटी प्रहरियों के व सी0ओ0बंदी का नाम मय विवरण(प्राथमिक जॉच की प्रति संलग्न करें)इनके विरूद्व आप द्वारा की गई कार्यवाही ।	पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई एफ0आई0आर0की प्रति संलग्न करें तथा एक माह के भीतर पुलिस द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट की प्रति व्यक्तिशः प्राप्त आवश्यक रूप से भिजवाये जाने का विशेष ध्यान रखा जावें।
1	2	3	4	5	6.	7.

नोटः— कृपया परिपत्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर दिये गये दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें तथा प्रपत्र अनुसार पंजिका संधारण करें तथा इसके अनुसार सूचना तत्काल भिजवाये जाने का विशेष रूप ध्यान रखा जावें ।

::महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर::

क्रमांक निरी. / फरारी / परिपत्र / 170 / 35207-306 दिनांक 19/11/03

::परिपत्र::

1. समस्त प्रभाराधिकारी,
   कारागृह / उप कारागृह, राजस्थान।
2. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह(घूघरा) अजमेर।
3. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

विषय:- जेलों में तलाशी के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री के संदर्भ में।

—xxx—

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 8.7.03 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान तलासी में काफी मात्रा में हीटर, सिगडियां व डिब्बो से बनाई गई सिगड़िया, पिसी हुई मिर्च व मसाले, ताजा सब्जियां व अन्य आपत्ती जनक सामग्री मिली थी। इसी प्रकार दिनांक 17.11.03 को जिला कारागृह, अलवर में ली तलासी के दौरान में हीटर व सिगड़ियां बरामद की गई है। इससे स्पष्ट है कि बंदियों के पास सिर्गड़ियां, हीटर व हीटर के एलिमेन्ट, मिर्च, मसाले, सब्जिया तथा अन्य आपत्ती जनक सामग्री स्टॉफ की मिली भगत से अन्दर दिलवाइ जाती है तथा नियमानुसार तलासी नहीं ली जाती है।

बंदी इन हीटरों व सिगडियों पर नियम विरूद्ध सब्जी व खाना बनाते है इससे अन्य बंदियों मे विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है व इन्हें रखना अनाधिकृत है ऐसी अनाधिकृत वस्तुएं अन्दर तभी जा सकती है जब गेट पर तलासी ठीक प्रकार से नहीं होती है। अगर किसी तरह से कोई ऐसी वस्तु अन्दर चली जाती है तो बैरिक / वार्ड की तलासी मे मिल जानी चाहिए। बैरिक व वार्ड की नियमित तलासी न होने की वजह से ऐसी वस्तुओ का बंदी इस्तेमाल करते रहते है।

अतः समस्त कारागृह / उप कारागृह प्रभारियों को निर्देश दिए जाते है कि वे जेल में इस प्रकार की निषिद्ध वस्तुए नही जाने पावे कि सुनिश्चित व्यवस्था करें तथा मुख्य द्वार में तलासी के कार्य मे पारंगत कर्मचारियों को लगाया जावे तथा बंदी बैरिक व वार्डस की नियमित व आकस्मिक रूप से तलासी समय–समय पर ली जावे। भविष्य मे किसी भी कारागृह / उप कारागृह मे इस प्रकार की आपत्ती जनक वस्तुएं बरामद होने पर उस जेल के कारापाल / उप कारापाल / सहायक कारापाल के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

इस परिपत्र की पालना अधिनस्थ कर्मचारियो से सुनिश्चित कराए जाने के लिए समस्त प्रभारी जेल विशेष ध्यान रखेगें तथा परिपत्र सभी संबधित को नोट कराया जावे। परिपत्र प्राप्ति की रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रेषित करें।

(ए.एस. गिल)
अति महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

|| महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ||

निरी/170/85-86/पार्ट-5/ 39184-283 दिनांक: 21.12.05

समस्त,
अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह,
राजस्थान ।

2. प्रभारी,
किशोर बन्दी सुधारगृह,
घूघरा, अजमेर ।

-: परिपत्र :-

महानिदेशालय द्वारा बन्दियों के बैरिक्स की तलाशी नियमित रूप से आकस्मिक रूप से लिये जाने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे है । विभिन्न जेलों पर तलाशी के दौरान निषिद्ध एवं अनावश्यक सामग्री बरामद होना यह सिद्ध करता है कि जेलों में मुख्य गेट पर तलाशी कार्य को गहनता से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बन्दी निषिद्ध सामग्री ले जाने में सफल हो जाते है, जो जेल सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा करते है । जेल में प्रवेश होने वाले बन्दियों की गहनता से तलाशी ली जावें, ताकि वे अवांछनीय वस्तुयें जेल में नहीं ले जा सकें । बन्दियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों (स्टाफ, कर्मचारिगण मुलाकाती आदि) की तलाशी भी नियमानुसार ली जावें । तलाशी लेने के कार्य पर उज्जवल छवि के सुरक्षा कर्मियों को गेट में ड्यूटी पर लगाया जावें ।

समस्त प्रभाराधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कारागृह में ~~सघन~~ तलाशी अभियान अविलम्ब चलावें एवं इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें, अन्यथा लापरवाही के लिये आपका दायित्व निर्धारित किया जावेगा, जिससे सूचित रहें ।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः निरी/परिपत्र/170/85-86/पार्ट-4/ 43228-330 दिनांकः 6-2-06

(3)

-: **परिपत्र** :-

विषयः- उप कारागृहों की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था बाबत निर्देश ।

-000-

यह देखने में आया है कि उप कारागृहों में प्रशासनिक व्यवस्था उचित प्रकार से नहीं चल रही है तथा उप कारागृह पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा उप कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली को प्रहरी के भरोसे ही छोड़ा जा रहा है, जिससे कि बन्दियों के फरार होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है । जेल मुख्यालय से प्रेषित निर्देश तथा जेल नियमों की भी पालना कड़ाई से नहीं की जा रही है । मण्डल अधिकारी/जिला जेल अधिकारी भी अपने अधीन जिले के अन्दर स्थित सब जेलों का आकस्मिक निरीक्षण भी नहीं करते है, तथा जेल की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं कर उदासीनता बरत रहें है ।

अतः निर्देश दिये जाते है कि मण्डलाधिकारी/जिला जेल अधिकारी अपने अधीन जिले में स्थित उप कारागृहों का आकस्मिक निरीक्षण/तलाशी माह में कम से कम एक बार करके मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करेगें ।

आकस्मिक निरीक्षण/तलाशी के दौरान उप कारागृह पर नियुक्त समस्त [illegible] [illegible] विधि तथा गार्ड के पास चाबी सुरक्षित रखने के तरीकों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देकर कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेगें ।

भविष्य में उप कारागृह पर अगर कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है, या प्रशासनिक व सुरक्षा-व्यवस्था विफल होती है, तो मण्डलाधिकारी/जिला जेल अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकेंगे । मण्डलाधिकारी/जिला जेल अधिकारी अपने जिले में स्थित कारागृह/उप कारागृह में होने वाली सभी अव्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होंगे तथा अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी अंकित की जा सकती है ।

(आर०एस०चौहान)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर
[illegible]

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) महानिरीक्षक, कारागार, राजस्थान, जयपुर ।

निरन्तर...2

-:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::-

क्रमांक :- निरीक्षण/परिपत्र/170/77-78/38907-3907 दिनांक:- 23-2-07

परि
परिपत्र

1. समस्त प्रभाराधिकारी
   कारागृह/उप कारागृह, राजस्थान
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।
3. प्रभारी, किशोर बन्दी सुधारगृह, घुघरा अजमेर ।

विषय:- कारागृहों /उप कारागृहों में निषिद्ध वस्तुओं की रोक थाम के सन्दर्भ में ।

-0-

गत दिनों जिला कारागृह भीलवाडा से 5 बंदी बैरक के सरियेकाट कर फरार हो गये थे। उक्त धटना की प्रारम्भिक जाँच में यह तथ्य उजागर हुआ है किबंदियों को उनके परिजनों द्वारा पपीते के अन्दर फनर छुपा कर दिया गया जिसके द्वारा बैरक के सरिये काट कर फरारी की धटना को अंजाम दिया गया । उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान कारागार नियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार बंदी बैरक्स एवं बन्दियों की तलाशी नहीं ली जाती है या तलाशी में शिथिलता बरती जाती है जिसके कारण बंदी जेल में निषिद्ध सामग्री ले जाने में सफल हो जाते है । फरारी [illegible]

पूर्व में भी बन्दियों की तलाशी एवं सुरक्षा का विशेषध्यान रखने हेतु महानिदेशालय के परिपत्र क्रमांक निरी./परिपत्र/170/85-86/पार्ट -5/16740-840 दिनांक10.6.02,4418-511 दिनांक 21.2.03,35475-576दिनांक 13.11.03,35207-306 दिनांक 19.11.03,45143-242 दिनांक30.1.04एवं1186-1285दिनांक 13.4.05 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे ,परन्तु कारागृह/उप कारागृह से हुई फरारीयोसे यह प्रतीत होता है कि कारागृह के अधिकारीयों द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है ।तथा तलाशी प्रक्रिया में शिथिलता दर्शायी जाती है ।

अतः समस्त कारागृह/उप कारागृह प्रभाराधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि बन्दी बैरिक्स की आकस्मिक एवं नियमित तलाशी प्रक्रिया को गम्भीरता से लेवे । कारागृह में प्रवेश होने वाले सभी बंदियों एवं मुलाकात से आने वाले बंदियों , उनको दिये जाने वाले सामान की गहनता से तलाशी लेने का विशेष ध्यान रखा जावे। तथा गेट में तलाशी हेतु उज्जवल छवि के सुरक्षा कर्मियों को लगाया जावें । वरिष्ठ अधिकारी भी यदा कदा स्वंय उपस्थित रहकर इस तलाशी का पर्यवेक्षण करें । निषिद्ध सामग्री बंदियों तक पहूँचाने एवं लापरवाही बरतने पर यदि कोई सुरक्षा कर्मी लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावें। मेनवाल के अन्दर 16 फिट की दूरी तक किसी प्रकार कानिर्माण कार्य नहीं करवाया जावे ताकि बन्दी उसकी मदद से फरार होने में सफल नहीं हो सकें ।

परिपत्र की पालना का विशेष ध्यान रखा जावे तथा परिपत्र की प्राप्ति रसीद स्वंय के हस्ताक्षरों से अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर।

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक–सामान्य/8/2000/ 56115-220 दिनांक 2/8/07

:: परिपत्र ::

समस्त प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।

प्रभारी अधिकारी, महिला कारागृह, जयपुर/किशोर बंदी सुधारगृह, घूघरा, अजमेर।

विषय–जेलों में बंदियों की व्यवस्थाओं के संबध में।

-***-

महानिदेशालय कारागार के परिपत्र क्रमांक सामान्य/8/2000/25009–25109 दिनांक 29.7.03 से जेलों में बंदियों को रखने एवं व्यवस्था बाबत विस्तृत निर्देश दिये गये हैं जिसके निरन्तर में क्रमांक सामान्य/8/2000/34588–611 दिनांक 13.11.03 से बंदियों की बैरक्स का वर्गीकरण एवं जेल सेवा में बंदियों को लगाने की प्रक्रिया बाबत निर्देश दिये गये हैं, परन्तु कारागृहों के निरीक्षण एवं समय–समय पर प्राप्त परिवादों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये हैं कि इन परिपत्रों की लगन से पालना नहीं की जा रही है। अतः जरिये इस परिपत्र पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्रों की अक्षरशः पालना करने के साथ–साथ निम्न प्रक्रिया की तत्काल पालन सुनिश्चित करें।

1. <u>जेल सेवा में लगाये हुये समस्त सी.एन.डब्ल्यू, सी.ओ., औपन सी.ओ.</u> के आचरण व कार्य की समीक्षा की जावे तथा 50 प्रतिशत को तत्काल जेल सेवा से हटाकर उनके स्थान पर अच्छे एवं असंदेहास्पद आचरण वाले बंदियों को जेल सेवा में नियमानुसार लगाया जावे।

   किसी भी सी.एन.डब्ल्यू, सी.ओ., औपन सी.ओ. को स्थाई तौर पर किसी वार्ड या स्थान विशेष पर तैनात नहीं रखा जावे तथा एक माह पूरा होते ही इनका स्थान परिवर्तन अनिवार्य रूप से किया जावे।

2. <u>विचाराधीन बंदियों को जेल सेवा</u> के विभिन्न कार्यो पर लगाया जाता है जो कतई उचित नहीं है, विचाराधीन बंदियों को अपने वार्डस के बाहर किसी भी कार्य पर नहीं लगाया जावे।

   जेल में सभी प्रकार के अपराधियों <u>को अलग–अलग वार्डस/बैरक्स</u> में रखे जाने का नियमों में प्रावधान है। विचाराधीन बंदियों के साथ दंडित बंदियों को किसी भी स्थिति में नहीं रखा जावे ताकि उनके द्वारा विचाराधीन बंदियों को प्रताड़ित करके उनका शोषण नही किया जा सके।

57 313

आदतन अपराधी, झगड़ालू प्रवृति वाले एवं बार–बार जेल अनुशासन भंग करने वाले बंदियों को साधारण विचाराधीन बंदियों से बिल्कुल अलग विशेष सुरक्षा निगरानी वाली बैरकों में रखा जावे। साधारण विचाराधीन बंदियों में से भी ऐसे बंदियों जो सम्पति विवाद, बैंक फ्राड, व्हाईट कालर अपराधी एवं कानून की पालना में तकनीकी कमी हो जाने पर जेल में भेजे जाते है, को अन्य सभी दूसरे बंदियों से अलग रखा जावे ताकि जेल में अन्य बंदियों द्वारा उनके साथ प्रताड़ना पूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार करने की संभावना नही रहे।

3. जेल में बंदियों को देय सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध हों तथा जेल की व्यवस्था सुचारू बनी रहे इस पर निगरानी के लिये जेलों में सुझाव एवं परिवाद बॉक्स रखे जाते हैं, परन्तु यह व्यवस्था सार्थक रूप से नहीं चल रही है। अधीक्षक जेल का यह मुख्य दायित्व है कि वह समय–समय पर यह देखें कि नियमों की पूर्ण पालना करते हुये जेल प्रबन्धन की व्यवस्थाएं हो रही है तथा इसमें पारदर्शिता परिलक्षित हो रही है। अतः सुझाव/शिकायत पेटियों में प्राप्त आवेदनों पर नियमित रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं इस व्यवस्था में सुधार करके जेल प्रबन्धन में पारदर्शिता कायम रखी जावे।

4. बंदी का जेल में प्रवेश एवं रिहाई अधीक्षक द्वारा चैक करने का नियमों में प्रावधान है इसका पूर्ण पालन किया जावे तथा विशेषकर रिहाई के वक्त अधीक्षक द्वारा रिहा होने वाले बंदी से उसके साथ जेल में रहने दौरान हुये व्यवहार बाबत जानकारी ली जाकर संतुष्ट हुआ जावे। अगर रिहा होने वाले बंदी द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार होने की शिकायत की जावे तो उस संदर्भ में तत्काल जांच करके आवश्यक कदम उठाये जावे।

बंदियों से मुलाकात करने वालों से भी अधीक्षक द्वारा सम्पर्क करके यह सुनिश्चित किया जावे कि मुलाकात स्वीकृति/अन्दर बंदी को सुविधाएं दिये जाने के एवज में कोई राशि का भुगतान करने के लिये तो बाध्य नहीं किया जा रहा है। बंदी के परिजनों/मित्रों द्वारा मुलाकात के वक्त दिया जाने वाला सामान अधिकृत की गयी पूरी मात्रा में मिल रहा है या नहीं ? उसे भी मौके पर ही विशेषरूप से चैक किया करें।

5. बीमार बंदियों की सामयिक चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रखी जावे। आवश्यक है कि चिकित्सक की सलाह पर बीमार बंदियों को दी जाने वाली दवाई, चिकित्सा खुराक, दूध आदि समय पर एवं पूरी मात्रा में मिले, के लिए अधीक्षक समय–समय पर न केवल परेड के दिन अपितु अन्य दिवसों में भी अस्पताल का राउण्ड करें एवं बंदियों से बातचीत करके सही मात्रा में दवाई, मेडिकल डाईट, दूध आदि उपलब्ध हो रहा है या नहीं तथा किसी प्रकार की हेरा–फेरी नहीं हो रही है, बाबत सुनिश्चित करें। विशेषज्ञ चिकित्सकों से ईलाज की जब भी जेल चिकित्सक द्वारा सलाह दी जावे तो ऐसे बीमार बंदियों को बिना किसी विलम्ब के संबंधित चिकित्सालय में भेजने की व्यवस्था की जावे।

पूर्व परिपत्रों के निरन्तर में उक्त सभी बिन्दुओं की पालना करते हुए जेल अधीक्षक स्वयं का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जेल में बंदियों विशेषकर नये प्रवेश होने वाले एवं विचाराधीन बंदियों के साथ किसी प्रकार का प्रताड़नापूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार नहीं हो तथा नियमों के अनुरूप जेल प्रबन्धन एवं व्यवस्थायें कायम रखना सुनिश्चित करें।

परिपत्र की प्राप्ती अधीक्षक/उप अधीक्षक/प्रभाराधिकारी कारागृह स्वयं के हस्ताक्षरों से तत्काल प्रेषित करें।

(के.एस. बेन्स)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर/जोधपुर।
2. निरीक्षण शाखा महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

52

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक निरी./फरारी/170/पार्ट-5/ 60186-286 दिनांक 10/08/07

1. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
2. प्रभाराधिकारी, किशोर बंदी सुधारगृह, घूघरा, अजमेर।

-: परिपत्र :-

गत दिनों उप कारागृह, निम्बाहेड़ा से बैरक के जंगले के सरियों को तोड़कर 12 बंदी फरार होने में सफल हो गये हैं। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि कारागृहों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में महानिदेशालय से समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किये जाने के निर्देश दिये जाने के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होना खेद का विषय है। इनकी रोकथाम को अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और मौका पाते ही बंदी फरार होने में सफल हो जाते हैं। ऐसी घटना पुनः न हो इसके लिए कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ किये जाने के लिए पुनः निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. कारागृहों से फरारियों की रोकथाम के लिए बंदियों, बैरिकों व जेल के सभी स्थानों की तलासी लिया जाना आवश्यक है। तलासी के अभाव में बंदी फरारी में सहयोग देने वाली वस्तुएं जेल में ले जाने या प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अतः राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-11 के नियम-1 के अनुसार तलासी लेने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जावे। बंदियों व जेल की तलासी नियमित रूप से गंभीरता से न ली जाकर सिर्फ तलासी लेने का अंकन रिपोर्ट बुक में कर दिया जाता है। अतः नियमित रूप से तलासी लिये जाने के अलावा आकस्मिक रूप से सघन तलासी भी ली जावे।

2. जेल बंद करवाते समय बैरकों व उनके जंगलों के सरिये, गेट के कुंदे, शौचालय आदि को चैक नहीं किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप फरारी जैसी घटनाएं घटित हो जाती है। अतः जेल बंद करवाते समय एवं जेल खुलवाते समय राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-10 सेक्शन-3 के नियम 34 से 41 तक, 72 (1), 80(2), 81(4) व 92 तथा पार्ट-8 के सैक्शन-16 के नियम 275 (11) का कड़ाई से पालन किया जावे।

3. राजस्थान कारागार नियम, 1951 के पार्ट-10 सैक्शन-3 के नियम 91 से 93 तक तथा पार्ट-25 सैक्शन-2 के नियम 54 में रात्री गस्त किये जाने का प्रावधान है, परन्तु अक्सर देखने में आया है कि अधिकारी नियमानुसार रात्री गस्त या तो करते ही नहीं है या केवल मात्र खाना पूर्ति के लिए रात्री गस्त

153

करते है जिसकी कोई सार्थकता नही रह जाती है। जिसकी वजह से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। अतः समस्त प्रभारी जेल को निर्देश दिये जाते हैं कि वे रात्री गस्त नियमित रूप से किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

4. बंदियों की मुलाकात कराने हेतु राजस्थान कारागार नियम, 1951 के पार्ट–22 के प्रावधानानुसार व समय सारणी अनुसार तथा इस संबंध में महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार मुलाकात नहीं करवाई जाकर नियम विरूद्ध बंदियों की मुलाकात करवादी जाती है। ऐसा करने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित ही प्रभावित होती है। मुलाकात के दौरान तलासी में भी लापरवाही नहीं बरती जावे। जिससे कि बंदीगण फरारी में सहायक सामग्री चोरी छुपे जेल में नहीं ले जा सके। मुलाकात के दौरान बंदियों को अधिकृत सामान ही दिलवाया जाकर इसका पूर्ण लेखा जोखा रखा जावे तथा भविष्य में मुलाकात नियमानुसार ही करवाई जावे।

5. बंदी बैरकों में लम्बे समय तक एक ही प्रकृति (अपराध) के बंदियों को एक बैरक में नहीं रखा जावे। बैरकों का समय–समय पर गहनता से निरीक्षण किया जावे। यदि बैरक के फर्श, दीवारों, जंगलों आदि की मरम्मत करवाई जानी आवश्यक हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से मरम्मत करवाली जावे। बंदियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान एवं पत्र व्यवहार पर कड़ी निगरानी रखी जावे। संदिग्ध आचरण वाले बंदियों पर विशेष निगरानी रखी जाकर उनकी नियमित रूप से तलासी के अलावा आकस्मिक तलासी लेने एवं सुरक्षा कर्मियों को पूर्ण सतर्कता के साथ ड्यूटी देने हेतु आगाह करते रहें।

6. कारागृह की मैनवाल पर लगे लाईव वायरों को चैक करवा कर उनमें 24 घंटे विद्युत प्रवाह जारी रहे ऐसी व्यवस्थ कराई जावे। मैनवाल पर लगे वायरों में यदि सिंगल फेस विद्युत प्रवाह रहता है तो इसे विद्युत विभाग से थ्री फेस विद्युत प्रवाह की व्यवस्था करवाई जावे। मैनवाल के उपर व बैरकों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था अति आवश्यक है। अतः जेल के अंदर व बाहर प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जावे।

7. मैनवाल के पास अंदर अथवा बाहर ऐसा कोई पेड़ नहीं होना चाहिए जिसकी मदद से बंदी मैनवाल तक पहुंच कर फरार होने में सफल हो जावें। मैनवाल के पास अथवा जेल के अंदर घने पेड़ों की छंगाई भी समय–समय पर कराई जाती रहे ताकि दूरी तक देखने में बाधा उत्पन्न न हो।

8. प्रायः देखा गया है कि बंदियों के पास स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में कम्बल, दरी, कपड़े आदि रहते हैं जिसके कारण तलासी लेने में तो परेशानी उत्पन्न होती ही है बंदी वस्त्रों का दुरूपयोग भी करते हैं तथा फरारी जैसी घटना में इनका प्रयोग भी कर सकते है। विचाराधीन बंदियों के पास भी

54

काफी मात्रा में वस्त्र रहते हैं। अतः विचाराधीन बंदियों को उनकी आवश्यकतानुसार ही कपड़े उपलब्ध करवाये जावें। दंडित बंदियों को निजी वस्त्र नहीं दिये जावे तथा राजस्थान कारागार नियम, 1951 के पार्ट–9 सेक्शन–5 के नियम–99 के तहत ही वस्त्र दिये जाने का विशेष ध्यान रखा जावे।

9. पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आने पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं, किन्तु विगत में फरारी की घटनाओं की जांच दौरान प्रकट होता रहा है कि अभी भी प्रभाराधिकारियों द्वारा कारागृहों की आन्तरिक सुरक्षा का समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अन्दर के पहरे या तो खाली छोड़ दिये जाते हैं या पहरे पर तैनात प्रहरी अपनी ड्यूटी पोस्ट को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। जिसके कारण ही निम्बाहेड़ा जेल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अतः यह सुनिश्चित रखा जावे कि सुरक्षा पोस्ट खाली नहीं रखी जावे तथा सुरक्षा कर्मियों की अपनी ड्यूटी पोस्टों पर मुस्तैदी को उच्च अधिकारी बराबर चैक करते रहें। रात्री गस्त अधिकारियों को तो इसमें अत्यधिक सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता है।

10. उप कारागृह पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा उप कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली को प्रहरी के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे बंदियों के फरार होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मंडल अधिकारी/जिला जेल अधिकारी भी अपने अधीन जिले की उप कारागृहों का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण भी नहीं करते है तथा जेल की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं कर उदासीनता बरत रहे हैं। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि मंडलाधिकारी/जिला जेल अधिकारी अपने मंडल/जिले में स्थित जिला/उप कारागृहों का आकस्मिक निरीक्षण/सघन तलासी माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से करके मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करगें।

11. जेलों से फरारी रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जेल कर्मी अपने दायित्वों से वाकिफ हो। अतः प्रभाराधिकारी कारागृहों को अपने अधीनस्थ सभी सुरक्षा कर्मियों को नियमों की आवश्यक जानकारी करावे और उन्हें समय–समय पर इनकी पालना करने के लिए सचेत करते रहें। मुख्यालय से जो महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किये जाते हैं उनकी जानकारी भी उन्हें दी जावे। फरारी रोकने में जितना अधिक उत्तरदायित्व व महत्व अधिकारी वर्ग का है उससे कम प्रहरी वर्ग का भी नहीं है। अतः अधिकारी/ प्रहरी वर्ग अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा एवं सतर्कता से करें।

12. वर्तमान समय में कतिपय बंदीगण चोरी छुपे जेलों में मोबाईल फोन ले जाकर अन्दर से ही अपनी अपराधिक गतिविधियों का संचालन करने या फरारी जैसी योजनाओं को अंजाम देने का दुष्साहस कर सकते हैं। अतः

67 — (5)

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

:- निरीक्षण / 17 02 / 127

दिनांक:- 13/5/08

समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह,राजस्थान।
प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, घूघरा, अजमेर।
प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
प्रभारी,किशोर बंदी सुधारगृह,घूघरा अजमेर।

:: परिपत्र ::

प्रायः देखने में आया है कि महानिदेशालय कारागार से बार–बार परिपत्रों के द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी बंदी मोबाईल फोन अंदर ले जाने में सफल हो जाते है तथा इसका बंदियों द्वारा दुरूपयोग किया जाकर कारागृह की सुरक्षा को प्रभावित करते है। बंदियों के पास मोबाईल बरामद होना यह सिद्ध करता है कि जेलों में मेनगेट व बैरिक्स के तलाशी कार्य को गहनता से नहीं लिया जा रहा है। कारागार विभाग मे सुरक्षाकर्मियो के स्वीकृत पदों में से 1/3 पद रिक्त चले रहे हैं जिनकी वजह से कारागृहों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है परंतु आपके कारागृह पर पदस्थापित सुरक्षाकर्मी यदि अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण सतर्कता से करें तो बंदियों के पास मोबाईल पहुंच पाना संभव नहीं है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से आपको पुनः आगाह किया जाता है कि आपकी कारागृहों मे किसी भी तरीके से बंदियो के पास मोबाईल फोन नहीं पहुंच पाये।

यदि भविष्य में किसी भी कारागृह में बंदियों के पास मोबाईल फोन बरामद होता है तो कारागृह प्रभारी की घोर लापरवाही मानी जाकर उसके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

परिपत्र की पालना का विशेष ध्यान रखा जावें तथा परिपत्र प्राप्ति की रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से आनिवार्य रूप से प्रेषित करे।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर
7/5/08

66 (8)

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः– निरीक्षण / 16226-17026

दिनांकः– 13/5/08

1. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह,राजस्थान।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, घूघरा, अजमेर।
3. प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
4. प्रभारी,किशोर बंदी सुधारगृह,घूघरा अजमेर।

:: परिपत्र ::

कारागृहों / उप कारागृहों की आकस्मिक तलाशी में बंदियों व बंदी बैरिक्स से, नकद राशि, नशीले पदार्थ, मोबाईल फोन, हीटर, ब्लेड, चाकू आदि निषिद्ध एवं अनावश्यक सामग्री बरामद होती रहती है। इससे ऐसा लगता है कि कारागृह प्रभारियों द्वारा तलाशी के कार्य को महत्व नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में भी महानिदेशालय से तलाशी प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए कई बार परिपत्र जारी किये गये है परन्तु राजस्थान कारागार नियम 1951 के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप तलाशी में मिल रही आपत्तिजनक / निषिद्ध सामग्रियों से यह सिद्ध हो रहा है कि अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा हैं।

वर्तमान में विभाग में सुरक्षाकर्मियों के काफी तादाद में पद रिक्त चल रहे है इसलिए तलाशी कार्य को और भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है ताकि बंदी निषिद्ध सामग्री किसी भी तरह से जेल में नहीं ले जा सकें।

अतः समस्त कारागृह / उप कारागृहों के प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बंदी बैरिक्स,वार्ड व बंदियों की नियमित / आकस्मिक तलाशी प्रक्रिया को गंभीरता से लेवें तथा मुख्य द्वार में तलाशी कार्य हेतु उज्जवल छवि के सुरक्षाकर्मियों को लगाया जावें।

परिपत्र की पालना का विशेष ध्यान रखा जावें तथा परिपत्र प्राप्ति की रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

(25)

72

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांकः— निरी/170/85-86/पार्ट 6/2008/927-1026 दिनांकः- 13-1-2009

समस्त प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह,
राजस्थान ।

:: परिपत्र ::

हाल ही में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में निरुद्ध एक बंदी ने दूसरे बंदी पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि कारागार विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण कारागृह में तलाशी अभियान को गंभीरता से नहीं लेकर केवल मात्र खानापूर्ति कर इतिश्री समझते है ।

महानिदेशालय के परिपत्र क्रमांक निरीक्षण/16926 17026 दिनांक 13.5.08 एवं परिपत्र क्रमांक निरीक्षण 17027 127 दिनांक 13.5.08 एवं क्रमांक निरी/170/85-86/पार्ट 6/2008/47138 239 दिनांक 24.10.08 के तहत इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाने के बावजूद भी इनकी कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है, जो सहनीय नहीं है ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कारागृहों पर सुचारू रूप से एवं सहनता से तलाशी अभियान जारी रखने के साथ साथ प्रत्येक बंदी की बैरिक 15 दिन में बदली जावे तथा वार्ड भी माह में एक बार अवश्य बदला जावे, ताकि बंदियों तथा बैरिकों की पूर्ण तलाशी ली जा सके ।

परिपत्र की पालना का विशेष ध्यान रखा जावे तथा परिपत्र की प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

12/1/09

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

12/1/09

— 83.

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

कमांकः— निरी/निषिद्ध सामग्री/2010/63567-662 दिनांक : 31-3-2010

1. अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला एवं उप कारागृह,
समस्त राजस्थान ।

2. उपाधीक्षक,
महिला सुधारगृह, जयपुर / जोधपुर

3. प्रभारी,
युवा बाल बंदी सुधारगृह, धूधूरा, अजमेर ।

विषय :— निरीक्षण/तलाशी के दौरान प्राप्त होने वाली निषिद्ध वस्तुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने बाबत ।

—000—

महोदय,

उपराक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि कारागृह पर तलाशी/निरीक्षण के दौरान प्राप्त होने वाले मोबाईल आदि की संख्या ही कारागृह प्रभारियों द्वारा मुख्यालय को भिजवायी जा रही है, जबकि उन्हें चाहिए कि उक्त तलाशी में क्या—क्या निषिद्ध सामग्री बरामद हुई, और किससे बरामद की गई आदि का विवरण संबंधित बरामद कर्ता के विरूद्ध की गई कार्यवाही सहित सूचना मुख्यालय को भिजवायी जावें ।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1.1.2010 से आदिनांक तक सूचना संलग्न प्रपत्रानुसार तैयार कर तुरन्त ही इस कार्यालय को भिजवावें । तथा भविष्य में आपके यहाँ निरीक्षण/तलाशी के दौरान प्राप्त होने वाले वाली निषिद्ध सामग्री में, से मोबाईल/ सिम की सूची कॉल डिटेल निकलवा कर कार्यवाही करने हेतु अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को भिजवाते हुये मुख्यालय कारागार को भिजवायी जाने वाली सूचना संलग्न प्रपत्रानुसार ही तैयार कर इस कार्यालय को भिजवाया करें ।

पत्र को प्राथमिकता दी जावें ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार—प्रपत्र ।

भवदीय

30/3/10

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान,जयपुर

86

महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

कमांकःनिरी/निषिद्ध वस्तुऐं/अजमेर/10/1613-712 दिनांक :-15.04.2010

परिपत्र

समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान एवं
प्रभारी, किशोर बंदी सुधार गृह, घूघरा,अजमेर

विषय :कारागृहों के निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम हेतु निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के बावजूद विभिन्न कारागृहों पर मोबाइल उपकरण, मादक पदार्थ एवं अन्य निषिद्ध वस्तुएं बंदियों के पास पाई जा रही हैं । निषिद्ध वस्तुओं का अपराध कारित करने में उपयोग तथा इन्हें उपलब्ध कराने में भ्रष्ट आचरण के प्रकरण भी सामने आये हैं ।

2. इससे स्पष्ट है कि जेल गेट पर तलाशी प्रभावी नहीं है तथा बैरिक/वार्ड पर जेल कर्मियों द्वारा निगरानी तथा सी0ओ0/सी0एन0डब्ल्यू0 द्वारा कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता अथवा सहमति प्रकट होती है ।

3. निषिद्ध सामग्री समय समय पर काफी संख्या में बरामद होने पर भी यह आश्चर्य का विषय है कि इस प्रकार की निषिद्ध वस्तुएं कारागृहों में प्रवेश करवाने में लिप्त कर्मियों को चिन्हित करने में आप अधिकाशतः असफल रहे हैं ।

4. प्रभावी तलाशी ही कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश को रोकने का मुख्य एवं कारगर तरीका है । इसको प्रभावी बनाने के लिये आपको विशेष ध्यान देना चाहिये । इस कार्य के लिये सबसे विश्वसनीय कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिये लेकिन निरंतर निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी इस महत्वूपूर्ण कार्य के प्रति आपकी उपेक्षा अथवा अक्षमता प्रतीत होती है ।

5. निषिद्ध वस्तुओं के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिये यह जरूरी है कि आप स्वयं अपने सूचना-तंत्र को विकसित कर इस अनियमित कार्य में लिप्त/सहायक जेल कर्मियों को चिन्हित करें । संदिग्ध कर्मियों को

2 में समय, कॉलम 3 में सामान का विवरण, मात्रा, किसके द्वारा लाया गया एवं उसका प्रयोजन अंकित किया जायेगा, कॉलम 4 में गेटकीपर अनुमति स्वरूप हस्ताक्षर करेगा तथा कॉलम 5 में तलाशी लेने वाले जेलकर्मी के हस्ताक्षर करवायेगा ।

(ख) भाग–II में बंदियों के लिए प्राप्त समस्त सामान की प्राप्ति अथवा बंदी द्वारा स्वयं कारागार से बाहर ले जाने का विवरण प्रारूप–4 के अनुसार रजिस्टर में संधारित किया जाये । इस रजिस्टर के कॉलम 1 में क्रम संख्या, कॉलम 2 में समय, कॉलम 3 में बंदी का नाम सामान का विवरण मय मात्रा, तथा कारागार पर सुपुर्द करने वाले व्यक्ति का नाम अंकित किया जायेगा । इसी कॉलम में बंदी द्वारा स्वयं का सामान रिहाई अथवा स्थानान्तरण पर साथ ले जाने पर सामान का विवरण मय मात्रा दर्ज किया जायेगा। कॉलम 4 में सामान के प्रवेश एवं निकास की अनुमति स्वरूप गेटकीपर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे तथा कॉलम 5 में तलाशी करने वाले जेलकर्मी के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे । सामान की प्रकृति को देखते हुए समुचित तलाशी संभव नहीं होने पर उसे लौटा दिया जाये । किसी प्रकार का संदिग्ध/निषिद्ध सामान तलाशी में पाये जाने पर उसे जप्त कर कर आगामी कार्यवाही हेतु गेटकीपर/तलाशी करने वाले द्वारा जेल प्रभारी को सुपुर्द किया जाये जिसका अंकन कॉलम 5 में किया जाये ।

अधीक्षक/प्रभारी कारागार नियमित रूप से इन चारों पंजिकाओं का निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कारागार में व्यक्तियों का प्रवेश/निकास, सामान का प्रवेश तथा निकास, तलाशी नियमानुसार की जा रही है एवं समस्त व्यक्तियों एवं सामान का आमद–रफत का पूर्ण अभिलेख संधारित किया जा रहा है ।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे ।

भवदीय,

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर
2. मुख्य लेखाधिकारी,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर
3. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय (जोधपुर–बीकानेर) रेंज–जोधपुर एवं (कोटा–उदयपुर) रेंज–उदयपुर
4. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह,राजस्थान
5. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी'श्रेणी /महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
6. प्रभारी,बाल बंदी सुधारगृह,घूघरा,अजमेर
7. कार्यालय अधीक्षक,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर –स्थायी आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु ।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–निरी / 170 / 85–86 / पार्ट–6 / 2008 / 5।।21–23 दिनांकः–20 जनवरी,2011

समस्त महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक कारागार,जोधपुर,जयपुर एवं उदयपुर
समस्त मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय / जिला कारागार
उप अधीक्षक, महिला सुधार गृह,जोधपुर एवं जयपुर
समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागार,राजस्थान
कारापाल, किशोर बंदी सुधारगृह,घूघरा,अजमेर

विषय :–कारागृहों पर आकस्मिक तलाशी / निरीक्षण के दौरान बरामद सामग्री के निस्तारण बाबत् दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कारागृहों पर समय–समय पर गेट अथवा वार्ड / बैरिक आदि में तलाशी के दौरान विभिन्न प्रकार की निषिद्ध सामग्री बरामद होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जब्त की जाती है। जब्त निषिद्ध वस्तुओं के निस्तारण हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. निषिद्ध वस्तु यथा–कट्टा, रिवाल्वर, कारतूस, नशीले पदार्थ आदि जिनको रखना विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय हैं, के संबंध में संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावे तथा जब्त वस्तु थानाधिकारी को सुपुर्द की जावे।

2. निषिद्ध वस्तुएं जेसे मग के हैण्डिल से बना कट्टन, चाकूनुमा हथियार आदि जिनको रखने पर विशिष्ट दण्ड का प्रावधान नहीं है उन्हें जब्त करने के तुरन्त पश्चात कारागृह प्रभारी द्वारा नष्ट किया जाकर अभिलेख में अंकित किया जाये। उक्त जब्त वस्तु का पुलिस द्वारा किये जा रहे अनुसंधान से संबंध होने पर उसे संबंधित अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किया जाये।

3. जब्त किये हुए मोबाईल फोन, मोबाईल से संबंधित अन्य उपकरण यथा–सिम कार्ड, चार्जर, मेमोरी कार्ड आदि का पूर्ण विवरण संबंधित पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जावे। पुलिस विभाग से इन जब्त वस्तुओं की आवश्यकता होने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को दी गई सूचना के 6 माह पश्चात् निम्नांकित समिति द्वारा नष्ट कर निस्तारण किया जावेः–

1. महानिरीक्षक कारागार / उप महानिरीक्षक कारागार जोन – अध्यक्ष
2. महानिरीक्षक पुलिस रेंज द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि –सदस्य
3. मण्डलाधिकारी संबंधित कारागार –सदस्य सचिव

उपरोक्त प्रकियानुसार मोबाईल फोन अथवा उससे संबंधित उपकरणों का निस्तारण मण्डल स्तर पर ही किया जायेगा। अतः समस्त प्रभारी जिला कारागृह नष्ट किये जाने योग्य उपकरणों को पूर्ण विवरण सहित संबंधित मण्डलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। उप कारागृहों में इस प्रकार की जब्त निषिद्ध वस्तुओं को संबंधित प्रभारी जिला कारागृह के माध्यम से मण्डलाधिकारी को प्रभाराधिकारी उप कारागृह द्वारा प्रेषित किया जावे।

उक्त प्रकियानुसार निषिद्ध सामग्री का निस्तारण सुनिश्चित करें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि–समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान को सूचनार्थ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

(67)

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः--निरी / 1711 / 2008--09 / मोबाईल / 45968-45000   दिनांकः 24-2-2011

1 समस्त,
अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह ।

2. उपाधीक्षक,
महिला सुधारगृह, जयपुर ।

3. प्रभारी,
किशोर सुधारगृह, अजमेर ।

विषय :-- कारागृहों में तलाशी / निरीक्षण के दौरान बरामद होने वाले मोबाईल / सिम कार्ड की सूचना पुलिस विभाग को भिजवाने बाबत ।

--000--

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कारागृह में मोबाईल एवं अन्य निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस मुख्यालय में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा, जाप जेलों में बरामद मोबाईल उपकरणों के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जॉच की मॉनीटरिंग करेगा, जिस बाबत जेल अधिकारी भविष्य में मोबाईल उपकरण बरामद होने पर पुलिस अधीक्षक को वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार विवरण भेजते हुए पत्र की प्रति अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी0आई0डी0 अपराध शाखा को पृष्ठांकित कर भेजेंगे ।

अतः आप सभी को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में आपकी कारागृह पर तलाशी / निरीक्षण के दौरान बरामद होने वाले मोबाईल उपकरणों की सूचना पूर्व की ही भाँति पुलिस विभाग को भेजते हुए उसकी एक प्रति अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी0आई0डी0 अपराध शाखा, जयपुर एवं प्रति मुख्यालय कारागार को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः--निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी0आई0डी0 अपराध शाखा, जयपुर ।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज कार्यालय, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

(98)

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः–निरी / 1711 / 2008–09 / मोबाईल / 18689-790 दिनांक 6/9/11

1. अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी,
   केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह,
   समस्त राजस्थान ।
2. उपाधीक्षक,
   महिला सुधारगृह, जयपुर ।
3. प्रभारी,
   बाल बंदी सुधारगृह, घूघूरा,अजमेर ।

विषय :– चालानी गार्ड द्वारा सूपूर्द कराये जाने वाले बंदियों से निषिद्ध सामग्री बरामद होने पर कार्यवाही कराने बाबत ।

–000–

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः ऐसा देखने में आया है कि तारीख पेशी, चालान, बंदी स्थानान्तरण आदि पर जब बंदियों को पुलिस गार्ड को सौंपा जाता है, तो उनकी पूर्ण रूप से तलाशी लेकर पुलिस को सूपूर्द किया जाता है, परन्तु जब पुलिस द्वारा पुनः बंदी को जेल प्रवेश करवाया जाता है, तो बंदियों के सामान में अवैध / अनाधिकृत (निषिद्ध सामग्री) सामान पाया जाना यह दर्शाता है कि बंदी अपने परिजनों /रिश्तेदारो से सामान चालानी गार्ड की अभिरक्षा में प्राप्त करते है, जिसमें बंदी एवं चालानी गार्ड की मिलीभगत होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

अतः भविष्य में बंदियों को चालानी गार्ड को सौंपे जाने से पूर्व अच्छी तरह उनकी तलाशी करवायी जाकर पुलिस गार्ड को सौंपे जावें, तथा बंदी के पुनः जेल प्रवेश के समय बंदी की प्राप्ती रसीद पुलिस गार्ड को तब तक न दी जावें, कि जब तक उसकी पूर्ण रूप से तलाशी न ले ली जावें, अगर तलाशी के दौरान किसी बंदी के पास कोई सामान अवैध /अनाधिकृत प्राप्त होता है, तो प्रकरण में संबंधित चालानी गार्ड के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाकर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को लिखते हुए मुख्यालय कारागार, जयपुर को सूचित करें । तद उपरान्त पुलिस विभाग द्वारा संबंधित पुलिस गार्ड के विरूद्ध की गई कार्यवाही की भी सूचना प्राप्त कर मुख्यालय कारागार को अवगत कराने का विशेष रूप से ध्यान रखें ।

भवदीय

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\NEWUSER\DESKTOP\TIWRI\GERNAL.DOCX 937

:: महानिदेशालय, कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक निरीक्षण/170/85-81/पार्ट-6/2081 /361-1465 दिनांक 12/4/12

आदेश

कारागृह में प्रतिबंधित वस्तुओं विशेषकर मोबाइल फोन एवं मादक पदार्थो के प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाने की दृष्टि से चैकिंग किये जाने के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:--

1. केन्द्रीय कारागृह एवं जिला कारागृह

(क) अधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय कारागृह एवं जिला कारागृह प्रति सप्ताह कम से कम दो बार स्वयं उपस्थित रहकर बंदियों के कारागृह में प्रवेश के दौरान चैकिंग करायेगें। चैकिंग पश्चात् बंदी आमद रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित करेगें।

(ख) सप्ताह के शेष पांच दिवसों में से प्रत्येक दिवस के लिए चैकिंग अधिकारी विशेष रूप से अधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय कारागृह एवं जिला कारागृह द्वारा नामित किया जायेगा। जो चैकिंग के पश्चात् बंदी आमद रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा।

2. उप कारागृह

समस्त उप कारागृह प्रभारी मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति के अतिरिक्त प्रत्येक दिवस पर बंदियों के उप कारागृह में प्रवेश के समय स्वयं चैकिंग करेगें। चैकिंग पश्चात् बंदी आमद रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित करेगें।

3. कारागृह स्टॉफ की चैकिंग

गत समय में प्रतिबंधित वस्तुएं कारागृह के अन्दर पहुंचाने में उजागर हुई कारागृह कर्मियों की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए इनकी चैकिंग संबंधी दिशा निर्देशों की भी कठोरता से पालना की जावे।

इस आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है –

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
2. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
3. प्रभारी, बाल बंदी सुधारगृह, अजमेर।
4. [illegible]

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर

१७१

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः निरी / 170 / 85–86 / पार्ट–6 / 08 / 52005-105 दिनांकः 28/1/13

1. समस्त,
   अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी,
   केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह ।
2. उपाधीक्षक,
   महिला सुधारगृह, जयपुर / जोधपुर ।
3. प्रभारी,
   किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण ।

–: परिपत्र :–

विषयः–एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले बंदियों द्वारा साथ ले जाने वाले सामान की सूची के संबंध में ।

यह है कि बंदी को एक जेल से दूसरी जेल पर स्थानान्तरण, पेशी, अन्य कारणों से लाये / ले जाते समय, उसे राजस्थान कारागार नियम–1951 व राजस्थान प्रिजन्स एक्ट–1960 के अधीन स्थानान्तरित किये जाने पर बंदी के साथ सामान (कपडा, मूल्यवान वस्तुऐं, खाद्य सामग्री) के विवरण की सूची बनाकर अलग से साथ में नत्थीबंद्व की जावें, जो इस तथ्य को प्रमाणित करेगा कि बंदी के पास इन वस्तुओं के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं है।

बंदी को प्राप्त करने वाले प्रभारी जेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि इस विवरणिका के अतिरिक्त कोई भी वस्तु जेल के अन्दर प्रवेशित नहीं की जाये । उक्त के अतिरिक्त पूर्व जेल द्वारा बंदी के साथ भेजी गई विवरणिका के अलावा यदि किसी बंदी के पास अन्य सामग्री बरामद होती है, तो वर्तमान कारागृह प्रभारी द्वारा उस बंदी के साथ आने वाले चालानी गार्ड के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित पुलिस आयुक्त / अधीक्षक को अवगत किया जाये।

परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराते हुए प्राप्ति रसीद कारागृह प्रभारी स्वंय के हस्ताक्षरों से भिजवायें ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज कार्यालय–जयपुर / जोधपुर / उदयपुर ।
2. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांक:निरी./नि.व./उदयपुर/2010/1779/पार्ट-II/ 5913५-250 दिनांक: 12/2/14

1. समस्त,
   अधीक्षक,उपाधीक्षक,प्रभाराधिकारी,
   केन्द्रीय,जिला एवं उप कारागृह।
2. उपाधीक्षक,
   महिला सुधारगृह, जयपुर,जोधपुर।
3. प्रभारी,
   बंदी किशोर सुधारगृह, जैतारण।

विषयः-कारागृहों की सघन तलाशी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के निर्देशानुसार पॉच केन्द्रीय कारागृह(जयपुर,जोधपुर,उदयपुर,भरतपुर,श्रीगंगानगर) पर प्रत्येक सप्ताह तथा अन्य कारागृहों पर पाक्षिक सघन तलाशी स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन के सहयोग से करायी जाकर तलाशी सूचना से मुख्यालय कारागार को अवगत कराने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये है।

ऐसा देखने में आया है कि जिन कारागृहों पर सप्ताहिक तलाशी ली जा रही है, उनके द्वारा तलाशी की सूचना यथा समय फैक्स/ई-मेल द्वारा मुख्यालय कारागार को नहीं भिजवायी जाती है जिसके कारण माननीय न्यायालय को आधी-अधूरी सूचना भिजवाने से माननीय न्यायालय की नाराजगी झेलनी पडती है।

अत: पूर्व पत्रों की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते है कि जिन कारागृहों पर सप्ताहिक सघन तलाशी ली जानी है उन कारागृह अधिकारी द्वारा तलाशी तिथि को ही जरिये फैक्स/ई-मेल से सूचना इस कार्यालय को भिजवायेगें तथा जिन कारागृहों पर पाक्षिक सघन तलाशी करायी जाती है उनके द्वारा अगर तलाशी के दौरान किसी प्रकार की अनुचित सामग्री तलाशी में बरामद होती है, तो तुरन्त ही जरिये फैक्स/ई-मेल से मुख्यालय कारागार को अवगत कराते हुए संबंधित मण्डलाधिकारी को भी सूचित करेगें तथा तलाशी के दौरान अनुचित सामग्री बरामद नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा सूचना यथा समय ही अपने मण्डलाधिकारी को प्रेषित करेगें, तदुपरान्त मण्डलाधिकारी प्रत्येक पाक्षिक की सम्पूर्ण मण्डल की सूचना से मुख्यालय कारागार को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

पत्र को प्राथमिकता दी जावे।

भवदीय

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- उपमहानिरीक्षक कारागार, रेंज-जयपुर,जोधपुर,उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांक:निरी./पाक्षिक तलाशी/जनवरी-14/ 59096-250 दिनांक: 4 मार्च-2014

1. समस्त,
जिला मजिस्ट्रेट ।

2. पुलिस आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर।

3. समस्त,
पुलिस अधीक्षक।

विषय:-राज्य की कारागृहों पर सप्ताहिक/पाक्षिक तलाशी कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के जनहित याचिक 2808/12 के निर्देशानुसार पॉच केन्द्रीय कारागृह (जयपुर,जोधपुर,उदयपुर,भरतपुर,श्रीगंगानगर) पर साप्ताहिक एवं अन्य कारागृहों पर पाक्षिक सघन तलाशी स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन की मदद के संयुक्त रूप से लिये जाने के निर्देश होने पर राज्य सरकार तथा इस कार्यालय स्तर से पूर्व में आपको लिखा जा चुका है, परन्तु ऐसा देखने में आया है कि कारागृहों से बार-बार लिखने के उपरान्त भी अधिकाशः कारागृहों पर तलाशी के वक्त स्थानीय/पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे कारागृह स्तर से ही तलाशी ली जाती है।

सघन तलाशी के समय स्थानीय/पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं होने से कारागृहों की ठीक प्रकार से सघन तलाशी नहीं होती है। तलाशी में स्थानीय/पुलिस प्रशासन की अनुपलब्धता माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में भी आता है।

अतः राज्य की कारागृहों पर होने वाली साप्ताहिक/पाक्षिक सघन तलाशी में स्थानीय/पुलिस प्रशासन का जाप्ता मय उपकरण के उपलब्ध कराने का श्रम करावें, ताकि कारागृहों की ठीक ढंग से तलाशी करायी जाकर माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें।

भवदीय

उपमहानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. उपमहानिरीक्षक कारागार, रेंज-जोधुपर/उदयपुर ।
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह ।
3. उपाधीक्षक, महिला सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
4. प्रभारी, किशोर सुधारगृह, जैतारण।

उपमहानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

93

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः--निरी / 170 / 35--86 / पार्ट--6 / 08 / 28818-927 दिनांकः-- 19.10.2010

परिपत्र

विषयः-- कारागार में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश एवं उपयोग की रोकथाम हेतु निर्देश।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक निरी / 16926--17026 दिनांक 13.05.2008, क्रमांक निरीक्षण / 17027--127 दिनांक 13.05.2008, क्रमांक निरी० / 170 / 85--86 / पार्ट--6 / 2008 / 927--1026 दिनांक 13.01.2009, क्रमांक निरी० / निषिद्ध वस्तुएं / अजमेर / 10 / 1613--712 दिनांक 15.04.2010 द्वारा कारागार में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश तथा उपयोग से संबंधित प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे लेकिन इसके बावजूद बंदियों द्वारा मोबाईल के उपयोग किये जाने के प्रकरण निरन्तर सामने आ रहे हैं। मोबाईल उपकरणों के जेल में प्रवेश को रोकने के लिये प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों के साथ मिलकर प्रभावी रणनीति बनाई जानी जरूरी है जिससे कारागार में मोबाईलों के प्रवेश और उसके उपयोग पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।

2. कारागृह प्रभारी कारागृह में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश एवं उपयोग को रोकने के लिये उत्तरदायी हैं तथा इस सबंध में उदासीनता अथवा समुचित पर्यवेक्षण का अभाव दंडनीय है।

3. आप द्वारा उठाये गये अन्य कदमों के साथ--साथ निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः--

(ए)केन्द्रीय और अन्य कारागारों पर जहॉं कि आर.ए.सी. / बोर्डर होम गार्ड्स नियोजित हैं उन स्थानों पर जेल में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों तथा वस्तुओं की सघन तलाशी आर.ए.सी. / बोर्डर होम गार्ड्स द्वारा ली जावे तथा तत्पश्चात् जेल कर्मियों द्वारा तलाशी ली जावे ताकि किसी प्रतिबंधित वस्तु का जेल में प्रवेश नहीं हो। प्रतिबंधित वस्तु पकड़ने वाले सुरक्षाकर्मियों को पुरस्कृत किया जाये तथा जिससे प्रतिबंधित वस्तु बरामद की जावे उसे दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जाये।